A2/4

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp- Chak 18 G G

वादपत्र संख्या 39/2017
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

मक्खनसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिंह, छींपा सिख, चक 7 एच.एच. ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

उपस्थित– श्री सतपालसिंह ढिल्लों (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

दिनांक 01 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/71 मुरब्बा नम्बर 43 एवं 45 की कुल 9.288 हैक्टर कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा एवं खाता संख्या 91/73 के मुरब्बा नम्बर 45 के 3.112 हैक्टर में से ¼ हिस्सा कृषि भूमि वादी के नाम पर दर्ज है. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी का नाम गुरप्यारसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिंह, छींपा दर्ज है. वादी उल्लेखित कृषि भूमि पर मौका पर काबिज है तथा फसल काश्त की हुई है. वादी को घर एवं गांव में गुरप्यारसिंह एवं मक्खनसिंह दोनों नामों से भी पुकारा जाता है जिसके कारण राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में गुरप्यारसिंह दर्ज हो गया. जबकि अन्य अभिलेख आधार कार्ड, चुनाव पहचानपत्र, परिवार राशनकार्ड एवं मूल निवास प्रमाणपत्र में वादी का नाम मक्खनसिंह दर्ज है. मक्खनसिंह एवं गुरप्यारसिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यकित के नाम हैं चूंकि वादी के समस्त दस्तावेज मक्खनसिंह के नाम से हैं परन्तु जमाबन्दी में गुरप्यारसिंह दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी हो रही है. इस भूमि पर ऋण लेने में भी रूकावट होती है एवं अन्य सरकार सहायता लेने में भी दिक्कत होती है इसलिये वादी जमाबन्दी में अपना नाम गुरप्यारसिंह के स्थान पर मक्खनसिंह दर्ज करवाना चाहता है. वादी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से आया है इसलिये वादी उक्त संशोधन दर्ज करवाने का अधिकारी है. वादी द्वारा प्रतिवादी से दिनांक 24 मार्च, 2017 को निवेदन किया गया कि प्रतिवादी का नाम जमाबन्दी में संशोधित कर गुरप्यारसिंह के स्थान पर मक्खनसिंह किया जावे तो प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के कथन किये गये यही वाद कारण है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/71 मुरब्बा नम्बर 43

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/5

एवं 45 की कुल 9.288 हैक्टर कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा एवं खाता संख्या 91/73 के मुरब्बा नम्बर 45 के 3.112 हैक्टर में से ¼ हिस्सा कृषि भूमि10 किला नम्बर 22(0.076) हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में गुरप्यारसिंह के नाम की प्रविष्टि संशोधित कर मक्खन सिंह अंकित करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में आंशिक नकल मानचित्र चक 5 एच.एच., चक 5 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, कार्यालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र संख्या 32967 दिनांक 4 अगस्त, 2015, श्री मक्खनसिंह के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या KPQ/1316835, श्री मक्खनसिंह के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4274 0103 2916, वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या RJ13/DLC/04/29640 Dt. 20 august, 2004 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 से 6 को वादी द्वारा स्वयं सिद्व करने के तथ्य अंकित करते हुऐ राज्य सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने के तथ्य प्रस्तुत किये गये.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किया गया–

1. क्या चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/71 मुरब्बा नम्बर 43 एवं 45 की कुल 9. 288 हैक्टर कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा एवं खाता संख्या 91/73 मुरब्बा नम्बर 45 के 3.112 हैक्टर में से ¼ हिस्सा में वादी सहखातेदार है, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में की गयी प्रविष्टि मे गुरप्यारसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिंह दर्ज है, को वादी, मक्खनसिंह के नाम का संशोधन करवाने का अधिकारी है?
..**वादी**

2. अनुतोष?

विवाद्यक के विनिश्चिय हेतु वादी श्री मक्खनसिंह द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

वादी द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 09 जनवरी, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के वाद में वादी सभी अभिलेख जिन पर वादपत्र आधारित है, वादपत्र के साथ प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु सहवन से वार्ड पंच, ग्राम पंचायत 4 एल.एल. ढींगांवाली द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 02 जनवरी, 2018 प्रस्तुत करने से रह गया, जो वादी को अब प्राप्त हुआ है. इसलिये वादी उक्त अभिलेख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है जिसे पत्रावली पर लिया जाना न्यायोचित है. इस प्रकार प्रमाणपत्र दिनांक 02

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/6

जनवरी, 2018 पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में वार्ड पंच, ग्राम पंचायत 4 एल.एल. ढींगांवाली द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र दिनांक 02 जनवरी, 2018 सलंग्न प्रस्तुत किया गया. जिस पर पैरोकार राज द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आवेदनपत्र स्वीकार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख पत्रावली पर लिया जाना स्वीकार किया गया.

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/71 मुरब्बा नम्बर 43 एवं 45 की कुल 9.288 हैक्टर कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा एवं खाता संख्या 91/73 मुरब्बा नम्बर 45 के 3. 112 हैक्टर में से ¼ हिस्सा में वादी सहखातेदार है, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में की गयी प्रविष्टि मे गुरप्यारसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिंह दर्ज है, को वादी, मक्खनसिंह के नाम का संशोधन करवाने का अधिकारी है?
..वादी

प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य चक 5 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 मे प्रश्नगत कृषि भूमि गुरप्यारसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिह के नाम पर दर्ज है. कार्यालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र संख्या 32967 दिनांक 4 अगस्त, 2015, चुनाव पहचानपत्र संख्या KPQ/1316835, आधार कार्ड संख्या 4274 0103 2916 समस्त मक्खनसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह के नाम पर जारी है इसी के साथ ही वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या RJ13/DLC/04/29640 Dt. 20 august, 2004 श्री मक्खनसिंह सिद्धू के नाम से जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत 4 एल.एल. ढींगांवाली द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र दिनांक 02 जनवरी, 2018 में अंकित किया गया है कि इसको गांव में मक्खनसिह व गुरप्यारसिंह दोनों नामों से जाना जाता है दोनों एक ही व्यक्ति है. किन्तु इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मात्र सरपंच, ग्राम पंचायत को ही है. ऐसी स्थिति में, किसी भी प्रकार का ठोस अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह सिद्व होता हो कि वादी मक्खनसिंह एवं गुरप्यारसिंह एक ही व्यक्ति हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक की विवेचना के परिदृश्य वादी अपने नाम का सिद्व करने सर्वथा असफल रहा है ऐसी स्थिति में, वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

।। आदेश ।।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/7

अतः साक्ष्य के अभाव में वादपत्र निरस्त किया जाता है यथा डिक्री जारी हो.

आदेश कैम्प– चक 18 जी.जी. में खुले न्यायालय में आज दिनांक 1 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/8

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

मक्खनसिंह आत्मज श्री महेन्द्रसिंह, छींपा सिख, चक 7 एच.एच.ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 39/2017
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री सतपालसिंह ढिल्लों एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

साक्ष्य के अभाव में वादपत्र निरस्त किया जाता है

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 1 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**